

10

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक-प्र0-05/ल0ज0सं0/स्था0मु0-44/2018

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

दिलीप कुमार चौधरी,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

ई-मेल

अभियंता प्रमुख,
सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार ।

विषय:- पुराने सरकारी वाहनों को नीलाम करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागान्तर्गत संलग्न कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर दो प्रकार के वाहनों का उपयोग किया जा रहा है:-

1. सरकारी वाहन जिनके मद में विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया जाता है,
2. जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के अंतर्गत निजी वाहनों को भाड़े पर रखा जाता है, जिसके संबंध में विभाग द्वारा स्वीकृति के पश्चात् वाहन मद में आवंटन उपलब्ध कराया जाता है।

कई कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया है कि उक्त कार्यालयों में कई वाहन निर्धारित समय-सीमा (15 वर्ष) से अधिक पुरानी हो चुकी है तथा वे अभी चालू स्थिति में नहीं हैं।

अतएव वैसे सरकारी वाहन, जो निर्धारित समय-सीमा से अधिक पुरानी हो चुकी है अथवा चालू अवस्था में नहीं हैं उसे अविलम्ब निष्प्रयोजित घोषित कर नीलामी की कार्यवाई किया जाय । ऐसे वाहनों की विवरणी दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(दिलीप कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 4155

/पटना, दिनांक- 24/06/24

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर सचिव/सभी उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

Omaw